



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

पौष 6, मंगलवार, शाके 1938-दिसम्बर 27, 2016
Pausa 6, Tuesday, Saka 1938-December 27, 2016

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 27, 2016

एस.ओ.122 :-राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्रीय और राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के साधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिगत बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए आवश्यक है, इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ. 1(8)/एफ डी/जी.एफ. एण्ड ए.आर./2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी के, क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 2 में, विद्यमान मद (ख) और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नयी मद (ग) और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :-

1	2	3
(ग) सरकार के अधिकारियों/पदधारियों के लिए प्रशिक्षण	1. इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास 2. संस्थान, जयपुर	प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कर्मशालाओं इत्यादि के आयोजन के लिए

1	2	3
कार्यक्रमों, कर्मशालाओं इत्यादि का आयोजन।	3. सहकारी शिक्षा और प्रबंधन का राजस्थान संस्थान (आर.आई.सी.ई. एम-)]जयपुर 4. सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज (सी.एम.एस.), जयपुर	दरें, वित्त विभाग की सहमति से, सम्बन्धित सोसाइटी के प्रशासनिक विभाग द्वारा विनिश्चित की जायेंगी।

[संख्या एफ.1(8) एफ.डी./जी.एफ. एण्ड ए.आर./2011]

राज्यपाल के आदेश से,

नवीन महाजन,

शासन सचिव।

FINANCE (G&T) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, December 27, 2016

S.O.122 :- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 32 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013; the State Government, being of the opinion that it is necessary for the socio-economic policies of the Central and the State Government utilization of resources and expertise of the departments and enterprises of the Central Government and the State Government and saving the time, money and efforts of the procuring entities required in inviting and processing of bids individually, hereby makes the following amendments in this department's notification number F. 1(80/FD/GF&AR/2011 dated 04 September, 2013, as amended from time to time, namely :-

AMENDMENT

In column 2 against serial number 1 of table of the said notification, after the existing (b) and entries thereto, the following new item (c) and entries thereto shall be added, namely :-

1	2	3
[c] Organization of training programs, workshops etc. for	1. Indira Gandhi Panchayati Raj and Grameen Vikas Sansthan, Jaipur	The rates of the organization of the training programs,

1	2	3
officers/officials of the Government.	2. Rajasthan Institute of Cooperative Education & Management (RICEM), Jaipur 3. Centre for Management Studies (CMS), Jaipur	workshops etc. shall be decided by the Administrative Department of the Society concerned with concurrence of the Finance Department.

[No. F.1(8) /FD/GF&AR/2011]

By Order of the Governor,
Naveen Mahajan,
Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.